

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18—मार्च 24, 2017 (फाल्गुन 27, 1938)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18—MARCH 24, 2017 (PHALGUNA 27, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 फरवरी 2017

सं. ए.22012/1/2016-पीएमई (भाग-II)—राष्ट्रपति, सुश्री नामग्या सी. खाम्पा, आई.एफ.एस. (2000) को प्रधानमंत्री कार्यालय में दिनांक 20 जून 2016 (अपराहन) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. दास, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2017

सं. ए.22012/ 1/2016-पीएमई—राष्ट्रपति, श्री विजय कुमार मंत्री, आई.ए.एस. (एएम : 2007) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 के पूर्वाहन से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप सचिव नियुक्त करते हैं।

ए. के. दास, अवर सचिव

सं. ए.22012/ 1(i)/2016-पीएमई—राष्ट्रपति, सुश्री ऐश्वर्या सिंह, आई.ए.एस. (एसके: 2008) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

ए. के. दास, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 28 फरवरी 2017

सं. आरएस.46/2/2016/7-कार्मिक—राज्य सभा टेलीविजन में पुनर्नियुक्ति के आधार पर निदेशक (वित्त एवं लेखा) के रूप में श्री पी. कल्याणसुन्दरम की नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त होने पर 15.02.2017 (अपराह्न) से उनकी सेवा समाप्त की जाती है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 3 मार्च 2017

सं. आरएस.46/2/2017/8-कार्मिक—अधिसूचना सं.आरएस.46/2015/13-कार्मिक, दिनांक 3 मार्च, 2015 के अनुक्रम में राज्य सभा टेलीविजन में पुनर्नियुक्ति के आधार पर अधिशासी अधिकारी (प्रशासन) के रूप में श्री राजेश कुकरेती के नियोजन की अवधि को 3 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2017

सं. ए.38013/1/2016-प्रशा-1(वि.वि.)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्रीमती चंद्र कान्ता 28 फरवरी, 2017 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2017

सं. 24012/162/1999-आईपीएस-II—राष्ट्रपति, यह निदेश देते हैं कि श्रीमती मारिआ लाऊ फर्नांडीस, भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के (बैच-1991) सदस्य को अखिल भारतीय पुलिस सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7 (2) (क) के अनुसार, दिनांक 16.08.2005 से भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाता है।

एस. के. रस्तोगी, उप सचिव

दिनांक 6 मार्च 2017

सं. 24010/99/99-आईपीएस-II—राष्ट्रपति, यह निदेश देते हैं कि श्री राजन सिंह, भारतीय पुलिस सेवा के केरल संवर्ग के (बैच-1996) सदस्य को अखिल भारतीय पुलिस सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7 (2) (क) के अनुसार, दिनांक 01.08.2007 से भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाता है।

एस. के. रस्तोगी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2017

सं. I-14011/25/2016-आईपीएस-I (II)—इस मंत्रालय की दिनांक 01.02.2010 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. I-14011/9/2016-आईपीएस-I (I) के अधिक्रम में तथा श्री रोहित महाजन द्वारा दायर ओ.ए. सं. 768/2013 एवं चार संबद्ध ओ ए में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, जयपुर बेंच द्वारा पारित दिनांक 09.01.2015 के सामान्य आदेश के अनुपालन में श्री सत्य नारायण खिंची का नाम अनंतिम रूप से समीक्षा चयन सूची-2009 के क्रम सं.-2 पर श्री ओम प्रकाश शर्मा क्रम सं.-1 के नीचे तथा श्री प्रेम प्रकाश टाक क्रम सं.-3 से ऊपर रखे जाने पर विचार किया गया था जो उनके विरुद्ध इस मंत्रालय के दिनांक 03.06.2016 की अधिसूचना सं. I-14011/25/2016-आईपीएस-I (I) द्वारा लंबित दांडिक प्रक्रिया में निकासी पर निर्भर करता है।

2. चयन समिति दिनांक 22.04.2016 को आयोजित अपनी बैठक में प्रोन्नति द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान काडर में नियुक्ति के लिए तथार एक 17.05.2016 को आयोग द्वारा यथानुमोदित जज्ञा कि 10.01.2017 के उनके पत्र सं.-7/16(1)/2016-एआईएस द्वारा सूचित किया गया है। वर्ष 2009 की चयन सूची में बिना किसी शर्त के श्री सत्य नारायण खिंची का नाम शामिल किए जाने की घोषणा करने संबंधी निर्णय के परिणामस्वरूप तथा भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के दूसरे परंतुक के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्री सत्य नारायण खिंची (जन्म तिथि: 25.02.1959) (पहले भी वर्ष 2009 की चयन सूची से नियुक्त) को वर्ष 2005 से 2014 की समीक्षा चयन सूची के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्रियों पर वर्ष 2009 की चयन सूची में भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान काडर में आईपीएस के तौर पर नियुक्त करती है। श्री सत्य नारायण खिंची की नियुक्ति 01.02.2010 से प्रभावी होगी।

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2017

सं. 39019/04/2016-स्था.(ख)(खंड)—राष्ट्रपति, एयर मार्शल (सेवानिवृत्त), ए. एस. भोंसले को 21 फरवरी, 2017 के अपराह्न से छह वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूरी होने, जो भी पहले हो, तक के लिए संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त करते हैं।

एन. श्रीरामन, निदेशक

सं. 39019/04/2016-स्था. (ख)(खंड)—राष्ट्रपति, सुश्री सुजाता मेहता को 21 फरवरी, 2017 के अपराह्न से छह वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूरी होने, जो भी पहले हो, तक के लिए संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त करते हैं।

एन. श्रीरामन, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2016

सं. ए.32013/2/2015-प्रशा. I—राष्ट्रपति, सुश्री कविता पद्मनाभन, आईएएस (एएम:2006) को उप सचिव के रूप में केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 15,600-39100 रु. + 7600 रु. के ग्रेड वेतन के पीबी-3 के वेतन बैंड में 11 जनवरी, 2016 के पूर्वाह्न से पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 1 जून 2016

सं. 20/जी/1781-प्रशा.।—राष्ट्रपति, ईओ प्रभाग के दिनांक 23 मई, 2016 के आदेश सं. 6/5/2016-ईओ (एमएम-1) के तहत केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत उप सचिव के रूप में हुई उनकी नियुक्ति के लिए चयन के फलस्वरूप श्री राजेन्द्र कुमार, आईएस (जीजे:2004) को दिनांक 27 मई, 2016 के पूर्वाह्न से चार वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 7600/- रुपए के वेतन बैंड पीबी-3 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 10 जून 2016

सं. 20/जी/1784-प्रशासन-।—राष्ट्रपति, श्री मधुसूदन प्रसाद आईएस (सेवानिवृत्त) को दिनांक 01 जून, 2016 से तीन वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने, जो भी पहले हो तक के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड का सदस्य नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2016

सं. ए-32013/2/2015-प्रशासन-।—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08 जून, 2016 के आदेश सं. 6/6/2016-ईओ(एमएम.1) के तहत केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अन्तर्गत उप सचिव के रूप में पदोन्नति होने के फलस्वरूप, श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, आईएस (यूडी:2004) को 15600-39100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + ग्रेड वेतन 7600/- रुपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 30 जून, 2016 के पूर्वाह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात्, दिनांक 19.06.2016 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2016

सं. ए-32013/7/2013- प्रशा.।—राष्ट्रपति दिनांक 28 जुलाई, 2016 के ईओ प्रभाग के पत्र सं. 36/01/2016-ईओ(एसएम-1) द्वारा उनकी नियुक्ति होने के फलस्वरूप, श्री भानु प्रताप शर्मा, आईएस (बीएच:81) को दिनांक 01 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2016

सं. 20/जी/1771-प्रशासन-।—दिनांक 8 फरवरी, 2016 के ईओ प्रभाग के आदेश संख्या 6/1/2016-ईओ(एसएम-1) के तहत केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उनका चयन होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री सुब्रह्मयम एस. एस. राव, आईएसएस:2000 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के रूप में वेतन बैंड 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700/- रु. के पीबी 4 में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 24 फरवरी, 2016 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेश के, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

राजेश्वर लाल, अवर सचिव

दिनांक 11 अगस्त 2016

सं. ए-32013/7/2013-प्रशा.-I—राष्ट्रपति दिनांक 26 जुलाई, 2016 के (सीएसएस) आदेश सं. 4/11/2015-सीएस-(डी) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के (अवर सचिव) ग्रेड-I से चयन ग्रेड (उप सचिव) में पदोन्नति होने के फलस्वरूप, श्री डी. के. सेनगुप्ता को दिनांक 27 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न से 30.06.2017 अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः तदर्थ आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

राजेश्वर लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

सं.ए-32013/7/2013-प्रशा.-I—राष्ट्रपति, ईओ प्रभाग के दिनांक 30 नवंबर, 2016 के पत्र सं. 6/44/2016-ईओ (एमएम-I) के तहत तहत इस विभाग में उप सचिव के रूप में हुई उनकी नियुक्ति के फलस्वरूप श्री आशीष माधोराव मौरे, आईएएस (एजीएमयूटी:2005) को दिनांक 8 दिसंबर, 2016 के पूर्वाह्न से स्तर 12 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

सी. गणेश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 जनवरी, 2017

सं. ए-32013/4/2013-प्रशा.-I—दिनांक 23 जनवरी, 2017-सीएस-(डी) द्वारा इस विभाग में संयुक्त सचिव (स्वःस्थाने) के रूप में उनकी पदोन्नति होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित निदेशकों को 23 जनवरी, 2017 अपराह्न से से संयुक्त सचिव (स्वःस्थाने) के रूप में वेतन मट्रिक्स के स्तर 14 में नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	सुश्री किमबुआंग किपजेन	निदेशक
2.	सुश्री गायत्री मिश्रा	निदेशक
3.	श्री मुकुल रात्रा	निदेशक

सी. गणेश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2017

सं.-14012/01/2015-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बच्च के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके समक्ष दिखाए गए तिथि से स्थायी करते हैं :—

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायी होने की तिथि
1	गौरव कुमार सिंह	छत्तीसगढ़	02.03.2016
2	अमनबीर सिंह बैस	मध्य प्रदेश	02.09.2015
3	अनूप कुमार सिंह	मध्य प्रदेश	03.09.2015
4	फ्रैंक नोबल ए	मध्य प्रदेश	02.09.2015

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायी होने की तिथि
5	गिरीश कुमार मिश्रा	मध्य प्रदेश	02.09.2015
6	हर्ष दीक्षित	मध्य प्रदेश	02.09.2015
7	मयंक अग्रवाल	मध्य प्रदेश	02.09.2015
8	प्रियांक मिश्रा	मध्य प्रदेश	02.09.2015
9	रजनी सिंह	मध्य प्रदेश	02.09.2015
10	ऋषि गर्ग	मध्य प्रदेश	02.09.2015
11	संदीप जी आर	मध्य प्रदेश	02.09.2015
12	सोमेश मिश्रा	मध्य प्रदेश	02.09.2015
13	सोनिया मीणा	मध्य प्रदेश	02.09.2015
14	अरविंद कुमार पोसवाल	राजस्थान	02.09.2015

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

दिनांक 2 मार्च 2017

सं.-14012/01/2015-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बच्च के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके समक्ष दिखाए गए तिथि से स्थायी करते हैं :—

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायी होने की तिथि
1	अजय कुमार	हरियाणा	02.09.2015
2	प्रदीप दहिया	हरियाणा	02.09.2015
3	अवनी लवासा	जम्मू-कश्मीर	02.09.2015
4	अंशुल गर्ग	जम्मू-कश्मीर	02.09.2015
5	विकास कुंडल	जम्मू-कश्मीर	02.09.2015

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2017

सं. 13017/45/2016-अ.भा.से.-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केरल और तमिलनाडु राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्द्वारा श्रीमती आशा अजीत, अजीत, आईएएस (केएल:15) का श्री विष्णु चन्द्रन बी, आईएएस (टी.एन.:2015) से विवाह होने के आधार पर केरल संवर्ग से तमिलनाडु संवर्ग में स्थानांतरण करती हूँ।

उदय भान सिंह, अवर सचिव

दिनांक 15 फरवरी 2017

सं. 13017/31/2012-अ.भा.से.-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब राज्य सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा डॉ. जोराम बेदा, आईएएस (पी.बी.:08) को दिनांक 21.01.2017 से दो वर्षों की अवधि के लिए पंजाब संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग के अरुणाचल प्रदेश खंड में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

उदय भान सिंह, अवर सचिव

सं. 13017/52/2012-अ.भा.से.-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश और केरल राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा सुश्री ए. शबामोल, आईएएस (एच.पी.:07) को दिनांक 22.02.2017 से दो वर्षों की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश संवर्ग से केरल संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

उदय भान सिंह, अवर सचिव

सं. 13017/43/2013-अ.भा.से.-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जम्मू और कश्मीर और महाराष्ट्र राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा श्री पांडुरंग कोंडबाराव पोले, आईएएस (जेके:04) को दिनांक 02.02.2017 से दो वर्षों की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

उदय भान सिंह, अवर सचिव

दिनांक 17 फरवरी 2017

सं.13017/01/2017-अ.भा.से.-(I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागालैंड सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, एतद्वारा श्री हेमन्त कुमार, आईएएस (एन.एल.: 13) का श्रीमती वन्दना राव, आईएएस (एजीएमयूटी: 15) से विवाह करने के आधार पर नागालैंड संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में स्थानांतरण करती है।

उदय भान सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2017

सं. 39019/01/2014-स्था. (ख)—65 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर प्रो. हेम चन्द गुप्ता ने 17 फरवरी, 2017 अपराह्न को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2017

सं.01/पीए-III/2017—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत, श्री एन. पी. एस. सैनी, अवर सचिव, 31.01.2017 अपराह्न को भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-I पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अमिताभ रंजन, प्रशासनिक अधिकारी (पीए-III)

सं.02/पीए-III/2017—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत, श्री झमन महतो, अवर सचिव, 31.01.2017 अपराहन को भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-I पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अमिताभ रंजन, प्रशासनिक अधिकारी (पीए-III)

सं. 03/पीए-III/2017—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के उपरांत विदेश मंत्रालय में सम प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत केंद्रीय सचिवालय सेवा के श्री एम. सूर्यनारायण, अवर सचिव, 31 जनवरी, 2017 के अपराहन में सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अमिताभ रंजन, प्रशासनिक अधिकारी (पीए-III)

उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2017

सं. डी III /460/सी एफ-58/2015—भारत के राष्ट्रपति चेन्नई में कजाखस्तान गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री सूरज शान्ताकुमार की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 13 दिसंबर 2018 तक होगी।

श्री सूरज शान्ताकुमार के कौंसली क्षेत्राधिकार में तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्य होगा, जिसका केंद्र चेन्नई होगा।

मनोज शर्मा, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

दिनांक 2 मार्च 2017

सं. डी III /460/सी एफ-56/2015—भारत के राष्ट्रपति बेंगलुरु में स्लोवाक गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में डा. रोय च रयनकं डथ जोसफ की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

डा. रोय च रयनकं डथ जोसफ के कौंसली क्षेत्राधिकार में कर्नाटक तथा केरल राज्य होगा, जिसका केंद्र बेंगलुरु होगा।

मनोज शर्मा, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

दिनांक 3 मार्च 2017

सं. डी III /460/सी एफ-17/2016—भारत के राष्ट्रपति मुंबई में युगांडा गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री मधुसूदन भ. अग्रवाल की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री मधुसूदन भ. अग्रवाल के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोवा राज्य होगा, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

मनोज शर्मा, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

सं. डी III /460/सी एफ-34/2015—भारत के राष्ट्रपति मुंबई में कांगो प्रजातान्त्रिक गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री अमित कमल अग्रवाल की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री अमित कमल अग्रवाल के कौंसली क्षेत्राधिकार में मुंबई शहर होगा, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

मनोज शर्मा, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

सं.01/2016 (फा.सं.ए-39012/3/2013-एडी.VIA)—राष्ट्रपति महोदय, श्री परमजीत सिंह, (सिविल कोड 07644), एडीआईटी (आई एण्ड सीआई), लुधियाना का 01.07.2013 के पूर्वाह्न से सरकार की सेवा से त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं।

योगेश शर्मा, अवर सचिव

सं.02/2016 (फा.सं.ए-24012/82/2014-एडी.VIA)—राष्ट्रपति महोदय, श्रीमती रजनी बी. गोहेल, (सिविल कोड 09511), डीडीआईटी (जांच), गोधरा का 31.05.2016 के अपराह्न से सरकार की सेवा से त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं।

योगेश शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2017

सं.01/2017(फा.सं.ए-39012/2/2013-एडी.VIA)—राष्ट्रपति महोदय, श्री सुजित सुधाकर बांगर, (सिविल कोड 04072), जेसीआईटी, जेसीआईटी, मुंबई का 16.01.2017 के अपराह्न से सरकार की सेवा से त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं।

योगेश शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2017

सं 02/2017 (फा. सं. ए-27023/23/2016-एडी.VIए)—स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप आर्थिक मामले के विभाग के आदेश संख्या ए-19011/14/2004-प्रशा.॥ दिनांक 03.10.2008 के तहत श्री राजुल अवस्थी, आईआरएस (आईटी: 88008) की सेवाओं को विश्व बैंक, वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपा गया था, जिसके कारण 30.09.2008 से एक्सटेंडेड टर्म्स कंस्ट्रेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को 09.08.2011 तक बढ़ाए जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की गई थी।

2. आयकर महानिदेशक(एचआरडी), सीबीडीटी के कार्यालय ने अपने दिनांक 01.07.2011 के पत्र द्वारा श्री राजुल अवस्थी को यह यह सूचित किया था कि डीओपी एण्ड टी ने उनके प्रतिनियुक्ति के बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ और यह कहा था कि एसीसी का यह निर्देश है कि कछर के बाहर रहने की 7 वर्ष की अधिकतम अवधि का शक्ति से अनुपालन किया जाना चाहिए। अतः वे 19.08.2011 के बाद कछर से बाहर नहीं रह सकते हैं। हालांकि श्री अवस्थी जी ने विश्व बैंक में अपनी स्वीकृत अवधि को पूरा करने के बाद इस कछर में अपने कार्यभार के लिए रिपोर्ट नहीं किया हुआ और 20.08.2011 से गण-प्राधिकृत रूप से अपनी इयूटी से गणहाजिर रह रहे हैं।

3. चूँकि श्री अवस्थी जी 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक अपनी इयूटी से गण हाजिर हैं इसलिए उनसे दिनांक 08.12.2016 के पत्र के माध्यम से यह आग्रह किया गया था कि वे लिखित में यह स्पष्ट करें कि अपनी इयूटी से 5 वर्ष तक गणहाजिर रहने के उनके कार्य को गण-प्राधिकृत अनुपस्थिति क्यों न माना जाए और उनके खिलाफ सीसीएस (लीव) रूल्स, 1972 के नियम 12(2) के अंतर्गत कार्रवाई क्यों न की जाए और उनके इस अनुपस्थिति को भारत सरकार की सेवा से त्यागपत्र क्यों न माना जाए।

4. श्री राजुल अवस्थी ने अपने दिनांक 22.12.2016 के पत्र के द्वारा यह सूचित किया था कि उनको यह पता है कि कार्मिक एवं एवं प्रशिक्षण विभाग ने उनकी प्रतिनियुक्ति को दिनांक 19.08.2011 से आगे बढ़ाए जाने को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने अपने प्रतिनियुक्ति बढ़ाए जाने की एक दूसरी अपील भी की है। लेकिन उनको इसके प्रतिउत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 20.08.2011 को अपनी इयूटी पर रिपोर्ट नहीं कर पाए।

5. अतः सीसीएस (लीव) रूल्स, 1972 के नियम 12(2), डीओपी एण्ड टी की अधिसूचना सं.13026/2/2010-स्था.(एल), दिनांक 29.03.2012, जिसे सा.का.नि. सं.261 (अ) के तहत दिनांक 29.03.2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय श्री राजुल अवस्थी, आईआरएस (आईटी: 88008) की अपनी इयूटी से

से पांच वर्ष से अधिक अवधि तक गण-प्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने को दिनांक 20.08.2011 से सरकार की सेवा से त्यागपत्र मानते हैं। वे किसी भी प्रकार के सेवानिवृत्त लाभ के हकदार नहीं होंगे।

योगेश शर्मा, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2017

सं. ए-32013/2/2014-संवर्ग.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 जनवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21/5/2016-सी.एस.।(डी) द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के पद पर उनकी नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निदेशक श्री वी.बी. दुबे को दिनांक 01.02.2017 (पूर्वाह्न) से पूर्ति प्रभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के नाते नियुक्त करते हैं।

अजय कुमार, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2017

सं.ए-38011/05/2016-स्था.—बायोटेक्नोलॉजी विभाग में डॉ. राजेश कपूर, वज्ञानिक 'एच' अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31 जनवरी, 2017 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

एम.के. सिन्हा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2017

सं. ए.11013/1/2014-डी.एफ.क्यू.सी. (सा.का.नि.)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक(सतर्कता) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निदेशक(सतर्कता) भर्ती नियम, 2017 ह्य।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स या वेतनमान - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उसका वेतन मट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट ह्य।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें बाते वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित ह्य विवाह किया ह्यया विवाह की संविदा की ह्य या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया ह्यया विवाह की संविदा की ह्य

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अनुसार अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद-संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स का स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक(सतर्कता)	1*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क, राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 13 (118500-214100 रु.)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हस्तगत उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या		लागू नहीं होता ।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

			पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने समूह 'क' में चौदह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हूँ और जिन्हें अपने-अपने काइर में अकृत्यिक चयन ग्रेड(एन.एफ.एस.जी.) दिया गया हूँ। टिप्पण 1: निदेशक(सतर्कता) के पद पर चयन और नियुक्ति "विभिन्न केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया" विषय विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. 372/8/99-ए.वी.डी.III, तारीख 18 जनवरी, 2011 द्वारा परिचालित और और समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हूँ) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर-बाह्य पद पर नियुक्ति की की अवधि हूँ पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	---	--	--

कुन्दन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 फरवरी 2017

सं. ए-19011/04/2012- के.स्वा.सेवा-IV—महामहिम राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी, डॉ. श्याम सुंदर डोडा, एमबीबीएस, एमडी, एफआईसीआर, परामर्शदाता विकिरणविज्ञानी, डॉ. डोडा डायग्नोस्टिक एवं हेल्थ केयर, 23-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली-110016 को दिनांक 29 जनवरी, 2017 से, अपने कार्य काल तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अपने ऑनोरी रेडियोलॉजिस्ट के पदों में नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/02/2015 - के.स्वा.सेवा-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. आरती तिवारी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गद्य-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में परीक्षा पर दिनांक 30 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक विशेषज्ञ ग्रेड-III (सूक्ष्मजीव-विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2017

सं- ए-12025/20/2014-के.स्वा.सेवा-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. पूर्वा पंकज सरकटे को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गद्य-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में परीक्षा पर दिनांक 29 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक विशेषज्ञ ग्रेड-III (सूक्ष्मजीव-विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 मार्च 2017

सं ए .12025/87/2014-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय डॉ. प्रभात गोयल दिनांक 13.08.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में शरीर रचना की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 मार्च 2017

सं. ए.12025/170/2014-सीएचएस.III—राष्ट्रपति महोदय डॉ. मीरा धुरिया को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-III[तत्कालीन विशेषज्ञ ग्रेड-II (जूनियर स्केल)] के पद पर 24.12.2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, परीक्षा पर नियुक्त करते हैं ।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2017

सं. ए.12034/6/2014-ईपीआई—संगीता शर्मा द्वारा के.प्र.अ. चंडीगढ़ बैंच में दर्ज ओ.ए. संख्या 063/00177/2015 की बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप माननीय राष्ट्रपति केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (हिमाचल प्रदेश) में श्री यशवंत कुमार को फल्ट्री प्रबंधक, समूह 'क' राजपत्रित, पीबी-3, 15600-39100/- रुपये + ग्रेड-पे 5400/-रुपये के पद पर दिनांक 26.4.2016 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

बी.एल. मीणा, अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

सं. 12023/15/2016 ई-II—राष्ट्रपति 7 दिसम्बर, 2016 पूर्वाह्न से 13 (क) वेतन मट्रिक्स स्तर में पर्यावरण, वन और जलवायु जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत श्री रामाशंकर सिन्हा, भारतीय वन सेवा (आगमट:1995) को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर अपर आयुक्त (फोरेस्ट्री) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुनील कुमार स्वर्णकार, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 फरवरी 2017

सं. ए-12022/01/2015-प्रशा.—बी. एस. चहलिया बनाम भारत सरकार के मामले में ओए संख्या 291/2014 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ के दिनांक 11 मई, 2016 के आदेश तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06 फरवरी, 2017 के आदेश संख्या 05/03/2014-सीएस-1(डी), जिसमें श्री बी.एस. चहलिया, अवर सचिव (सेवा निवृत्त) के नाम को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 जुलाई, 2009 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 4/9/2008-सीएस.1(डी) द्वारा परिचालित वर्ष 2007 के लिए सीएसएस के चयन चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्ति हेतु उपयुक्त समझे गए सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) अधिकारियों की पार्ट चयन सूची में श्री एच.सी. आजाद (क्रम सं. 3) से नीचे और श्री एन.सी. भानवाल (क्रम सं. 4) से ऊपर क्रम संख्या 3ए के सामने रखा गया ह्य के अनुसरण में श्री बी.एस. चहलिया को एतद्वारा उनके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख अर्थात् 01.07.2007 से चयन (उप सचिव) ग्रेड में नोशनल पदोन्नति दी जाती ह्य

राजेश कुमार, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2017

सं. ए-38012/06/2016 -ई-1—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में श्री रंजन मुखर्जी, निदेशक (टीआर), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, दिनांक 31.01.2017 (अपराहन) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

अनिल शर्मा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2017

सं. ए-12026/1/2014-प्रशा.'ख'—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह-ख, राजपत्रित, अलिपिकवर्गीय) अधीक्षक (लेखा) के पदों पर निम्नलिखित छः अभ्यर्थियों को उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से नियुक्त किया जाता ह्य

क्र.सं.	नाम	दिनांक
1	श्री कम्पटन मंडल	05.08.2016(पूर्व.)
2	श्री पवन कुमार	17.08.2016(पूर्व.)
3	श्री अरापल्ली मोहन बाबू	22.08.2016(पूर्व.)
4	श्री विनोद आर वी	30.08.2016(पूर्व.)
5	श्री जगन्नाथ प्रसाद	30.09.2016 (अप.)
6	श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान	30.09.2016 (अप.)

पूजा शर्मा, संपदा उपनिदेशक(स्था.)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2017

सं. ए-31011/04/2011-सीएलएस-I (.)—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से पीबी-3 (15,600-39,100 रु.) सह ग्रेड पे 5,400/- (पूर्व संशोधित) केन्द्रीय श्रम सेवा में जूनियर टाइम स्केल (समूह 'क') अधिकारियों (परिवीक्षाधीन) के तौर पर नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यग्रहण की तिथि
1.	सुमित	23-09-2014
2.	निरंजन कुमार	28-08-2014
3.	निर्मल चन्द्रकर	06-04-2015
4.	शोएबअली हसनअली सख्तद	23.04.2015
5.	राकेश गौड़	29-12-2014
6.	सचिन कुमार	25-09-2014
7.	शुभा त्यागी	05-12-2014
8.	राहुल त्यागी	24-03-2015
9.	रेश्म वी	29-01-2015
10.	मणिकंदन	02-04-2015
11.	बिधान चन्द्र नायक	03.02.2015
12.	मो. इमरान रजा	26-12-2014 से 04.09.2015 तक (इस्तीफा)
13.	चिरंजीव सक्रिया	08-12-2014
14.	करुणाकर जगन्नाथ मोहन्ती	04-03-2015
15.	श्रीनु दारा	05-02-2015
16.	कान्हू चरण साहू	02-07-2015
17.	सुशान्त कुमार नायक	01-06-2015
18.	अंजली यादव	24-12-2014 से 04.09.2015 तक (इस्तीफा)
19.	सुनील कुमार साहू	26-02-2015
20.	वसीमउल हक	01-01-2015
21.	राजीव रंजन	09-09-2015
22.	क्षितिज जहा	20-01-2015
23.	मृणमय ठाकुर	23-12-2014
24.	अंकुर दलाल	13-03-2015
25.	श्री अशोक पेरुमल्ला	30-03-2015
26.	बरुण कुमार झा	29.01.2015

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यग्रहण की तिथि
27.	कनगवेल पार्डियन शानमुगवेल	08.04.2015
28.	मो. राजी आलम खान	01.09.2014
29.	बीना	29.12.2014
30.	एस. अन्नादुरई	31.12.2014
31.	सुबाप्रियदर्शनी मुथुपांडी	29.12.2014
32.	माधवन	18.03.2015
33.	राम किशन मीणा	04.02.2015
34.	राजेश कुमार टी.	09.04.2015 से 18.01.2017 तक (इस्तीफा)
35.	प्रवीण पाण्डी मोहनदास	11.02.2015
36.	सुनील रघुनाथ माली	08.04.2015
37.	वी आर गणेशन	22.01.2015
38.	प्रद्युम्न कुमार राणा	09.09.2015
39.	नयन मानिक त्रिपुरा	12.02.2015
40.	रीगा जय सिंह चौहान	09.12.2014
41.	मोहम्मद औजेर	28.01.2015
42.	विशाल अशोक आम्टे	22.04.2015
43.	अतुल सिंह	11.12.2014
44.	हरि ओम गौतम	22.09.2014
45.	हरिकेश बहादुर	01.01.2015
46.	हिटलर थोडम	15.04.2015
47.	सागर प्रधान	13.02.2015
48.	वॉन्मी होरम	04.08.2015
49.	एस. रविकांत रेड्डी	08.12.2014
50.	बसावाराज	01.01.2015
51.	संतोष कुमार सेठी	24.12.2014

2. उपर्युक्त अधिकारियों की सीएलएस के जेटीएस ग्रेड में नियुक्ति यूओआई के खिलाफ माननीय सीएटी, मद्रास के पास श्री एल प्रसाद द्वारा दायर ओए संख्या 310/01382/2014, माननीय सीएटी, पीबी, नई दिल्ली के पास श्री मुकेश सुमन द्वारा दायर ओए संख्या 2197/2014, माननीय सीएटी, इलाहाबाद के पास सुश्री नेहा सिंह द्वारा दायर ओए संख्या 330/1024/ के अंतिम परिणाम के आधार पर होगा।

एस.के.सिंह, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 3rd February 2017

No. A.22012/1/2016-PME(Pt.II)—The President is pleased to appoint Ms. Namgya C. Khampa, IFS(2000) as Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 20th June, 2016, for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

A. K. DAS, Under Secretary

The 6th February 2017

No. A.22012/1/2016-PME—The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Mantri, IAS (AM: 2007) as Deputy Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 6th February, 2017, for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

A. K. DAS, Under Secretary

No. A.22012/1(i)/2016-PME —The President is pleased to appoint Ms. Aishvarya Singh, IAS (SK: 2008) as Under Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 6th February, 2017, for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

A. K. DAS, Under Secretary

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 28th February 2017

No. RS.46/2/2016/7-Perl.—On expiry of his term of appointment, the services of Shri P. Kalyanasundaram as Director (Finance & Accounts) in Rajya Sabha Television on re-employment basis stand terminated w.e.f. 15.02.2017(A/N).

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 3rd March 2017

No. RS.46/2/2017/8-Perl.—In continuation of Notification No. RS.46/2015/13-Perl. dated the 03rd March, 2015, the period of employment of Shri Rajesh Kukreti as Executive Officer (Administration) in Rajya Sabha Television on re-employment basis has been extended for a further period of two years w.e.f. the forenoon of 03rd March, 2017 and until further orders, whichever is earlier.

S. RANGARAJAN, Joint Director

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 1st March 2017

No. A.38013/1/2016-Admn.I(L.D.)—On attaining the age of superannuation, Smt. Chander Kanta, Section Officer in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice retired from Government service with effect from the afternoon of 28th February, 2017.

B. M. SHARMA, Deputy Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 3rd February 2017

No. 24012/162/1999-IPS.II—The President is pleased to direct that Smt. Marie Lou Fernandes, a member of the Indian Police Service, borne on the Cadre of Maharashtra (Batch-1991) is deemed to have resigned from the Indian Police Service with effect from 16.08.2005, in terms of Rule 7 (2) (a) of the All India Services (Leave) Rules, 1955.

S. K. RASTOGI, Deputy Secretary

The 6th March 2017

No. 24010/99/99-IPS.II—The President is pleased to direct that Shri Rajan Singh, a member of the Indian Police Service, borne on the Cadre of Kerala (Batch-1996) is deemed to have resigned from the Indian Police Service with effect from 01.08.2007, in terms of Rule 7 (2) (a) of the All India Services (Leave) Rules, 1955.

S. K. RASTOGI, Deputy Secretary

New Delhi, the 17th January 2017

No. I-14011/25/2016-IPS.I (II)—In supersession of this Ministry's earlier Notification I-14011/9/2009-IPS.I(I) dated 01.02.2010 and in compliance of the common order dated 09.01.2015 passed by the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Jaipur Bench in OA No. 768/2013 filed by Shri Rohit Mahajan and four connected OAs, the name of Shri Satya Narain Khinchi was considered provisionally at Sl. No 2 below the name of Shri Om Prakash Sharma Sl. No. 1 and above the name of Shri Prem Prakash Tak Sl. No. 3 in the Review Select List-2009 subject to clearance in the criminal proceedings pending against him vide this Ministry's Notification No. I-14011/25/2016-IPS.I(I) dated 03.06.2016.

2. Consequent upon the decision of the Union Public Service Commission to declare the inclusion of the name of Shri Satya Narain Khinchi as unconditional in the Select List of 2009 prepared for appointment to Rajasthan Cadre of Indian Police Service by promotion by the Selection Committee in its meeting held on 22.04.2016 and approved by the Commission on 17.05.2016 as intimated vide their letter No. 7/16(1)/2016-AIS dated 10.01.2017 and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 read with 2nd proviso to sub regulation (1) of regulation 9 of Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Shri Satya Narain Khinchi (Date of Birth : 25.02.1959) (earlier also appointed from the Select List of 2009) as IPS to the Rajasthan cadre of Indian Police Service in the Select List 2009 against the vacancies determined by the Government of India for the Review Select Lists of the year 2005 to 2014. The appointment of Shri Satya Narain Khinchi will be effective from 01.02.2010.

AJAY KUMAR SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 22nd February 2017

No. 39019/04/2016-Estt (B) (Part)—The President is pleased to appoint Air Marshal (Retd) A. S. Bhonsle as Member, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 21st February, 2017, for a period of six years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

N. SRIRAMAN, Director

No. 39019/04/2016-Estt (B) (Part)—The President is pleased to appoint Ms. Sujata Mehta as Member, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 21st February, 2017, for a period of six years or until she attains the age of 65 years, whichever is earlier.

N. SRIRAMAN, Director

New Delhi, the 12th January 2016

No. A.32013/2/2015-Ad.I—The President is pleased to appoint Ms. Kavitha Vaibhav Padmanabhan, IAS(AM: 2006) as Deputy Secretary in Department of Personnel and Training under Central Staffing Scheme in the pay band PB-3 of Rs.15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 7600/- with effect from forenoon of the 11th January, 2016, for a period of four years from the date of taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

D. K. SENGUPTA, Under Secretary

The 1st June 2016

No. 20/G/1781-Ad.I—Consequent upon his selection for appointment as Deputy Secretary under the Central Staffing Scheme vide EO Division's Order No. 6/5/2016-EO(MM.I) dated 23rd May, 2016, the President is pleased to appoint Shri Rajender Kumar, IAS[GJ:2004] as Deputy Secretary in Department of Personnel and Training in the pay band PB-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs.7600/- with effect from forenoon of the 27th May, 2016, for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

D. K. SENGUPTA, Under Secretary

The 10th June 2016

No. 20/G/1784-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Madhusudan Prasad, IAS(Retd.) as Member, Public Enterprises Selection Board, with effect from forenoon of 01st June, 2016, for a tenure of three years or until attainment of the age of 65 years, whichever is earlier.

D. K. SENGUPTA, Under Secretary

The 30th June 2016

No. A-32013/2/2015-Ad.I—Consequent upon his selection for appointment as Deputy Secretary under the Central Staffing Scheme vide EO Division's Order No. 6/6/2016-EO(MM.I) dated 08th June, 2016, the President is pleased to appoint Shri B.V.R.C. Purushottam, IAS(UD:2004) as Deputy Secretary in Department of Personnel and Training in the pay band PB-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs.7600/- with effect from forenoon of the 30th June, 2016, for the balance period of his central deputation i.e. upto 19.06.2019 or until further orders, whichever event takes place earlier.

D. K. SENGUPTA, Under Secretary

The 1st August 2016

No. A-32013/1/2013-Ad.I—Consequent upon his appointment by the Appointments Committee of the Cabinet as Secretary, DoP&T vide EO Division's communication No. 36/01/2016-EO(SM-I) dated 28th July, 2016, the President is pleased to appoint Sh. Bhanu Pratap Sharma, IAS(BH:81) as Secretary in the Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 1st August, 2016.

D. K. SENGUPTA, Under Secretary

New Delhi, the 24th February 2016

No. 20/G/1771-Ad.I—Consequent upon his selection for appointment as Director under the Central Staffing Scheme vide EO Division's Order No. 6/1/2016-EO(MM.I) dated 8th February, 2016, the President is pleased to appoint Shri Subramanya M. S. Rao, ISS:2000 as Director in Department of Personnel and Training in the pay band PB-4 of Rs.37400—67000/- + Grade Pay of Rs.8700/- with effect from forenoon of the 24th February, 2016, for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

RAJESHWAR LAL, Under Secretary

The 11th August 2016

No. A-32013/7/2013-Ad.I—Consequent upon his promotion from Grade-I(Under Secretary) of the Central Secretariat Service(CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary) vide Order No.4/11/2015-CS-I(D) dated 26th July, 2016, the President is pleased to appoint Shri D. K. Sengupta as Deputy Secretary in the Department of Personnel & Training, purely on ad-hoc basis, w.e.f. the forenoon of 27th July, 2016 for a period upto 30.06.2017 or until further orders, whichever is earlier.

RAJESHWAR LAL, Under Secretary

New Delhi, the 8th December 2016

No. A-32013/7/2013-Ad.I—Consequent upon his appointment as Deputy Secretary in this Department vide EO Division's communication No. 6/44/2016-EO(MM-I) dated 30th November, 2016, the President is pleased to appoint Sh. Ashish Madhaorao More, IAS(AGMUT:2005) as Deputy Secretary in the Department of Personnel and Training in the level 12 of Pay Matrix with effect from the forenoon of 08th December, 2016.

C. GANESH KUMAR, Under Secretary

The 27th January 2017

No. A-32013/4/2013-Ad.I—Consequent upon their appointment as Joint Secretary (in-situ) in this Department vide CS Division's O.M No. 21/5/2016-CS-I(D) dated 23rd January, 2017, the President is pleased to appoint following Directors of DoP&T as Joint Secretary (in-situ) in the Department of Personnel and Training in the level 14 of Pay Matrix with effect from the afternoon of 23rd January, 2017:—

Sl.No.	Name	Designation
1.	Ms. Kimbuong Kipgen	Director
2.	Ms. Gayatri Mishra	Director
3.	Sh. Mukul Ratra	Director

C. GANESH KUMAR, Under Secretary

New Delhi, the 28th February 2017

No. 14012/01/2015-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service of 2013 batch in the Indian Administrative Service, with effect from date(s) shown against them:—

S. No.	Name of Officer(Shri/Smt)	Cadre	Date of Confirmation
1.	Gaurav Kumar Singh	Chhattisgarh	02.03.2016
2.	Amanbir Singh Bains	Madhya Pradesh	02.09.2015
3.	Anup Kumar Singh	Madhya Pradesh	03.09.2015
4.	Frank Noble A	Madhya Pradesh	02.09.2015
5.	Girish Kumar Mishra	Madhya Pradesh	02.09.2015
6.	Harsh Dikshit	Madhya Pradesh	02.09.2015
7.	Mayank Agrawal	Madhya Pradesh	02.09.2015
8.	Priyank Mishra	Madhya Pradesh	02.09.2015
9.	Rajani Singh	Madhya Pradesh	02.09.2015
10.	Rishi Garg	Madhya Pradesh	02.09.2015
11.	Sandeep G R	Madhya Pradesh	02.09.2015
12.	Somesh Mishra	Madhya Pradesh	02.09.2015
13.	Sonia Meena	Madhya Pradesh	02.09.2015
14.	Arvind Kumar Poswal	Rajasthan	02.09.2015

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secretary

The 2nd March 2017

No. 14012/01/2015 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service of 2013 batch in the Indian Administrative Service, with effect from date(s) shown against them:—

S. No.	Name of Officer(Shri/Smt)	Cadre	Date of Confirmation
1.	Ajay Kumar	Haryana	02.09.2015
2.	Pradeep Dahiya	Haryana	02.09.2015
3.	Avny Lavasa	Jammu & Kashmir	02.09.2015
4.	Anshul Garg	Jammu & Kashmir	02.09.2015
5.	Vikas Kundal	Jammu & Kashmir	02.09.2015

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secretary

New Delhi, the 13th February 2017

No. 13017/45/2016-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Governments of Kerala and Tamil Nadu, the Central Government hereby transfers Smt. Asha Ajith, IAS (KL:15) from Kerala cadre to Tamil Nadu cadre on grounds of marriage to Shri Vishnu Chandran B, IAS (TN:2015).

UDAI BHAN SINGH, Under Secretary

The 15th February 2017

No. 13017/31/2012-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of State Government of Punjab and the Ministry of Home Affairs, the Central Government hereby accords approval for extension of tenure of inter cadre deputation of Dr. Joram Beda, IAS (PB:08) from Punjab cadre to Arunachal Pradesh segment of AGMUT cadre for a further period of two years beyond 21.01.2017.

UDAI BHAN SINGH, Under Secretary

No. 13017/52/2012-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of State Governments of Himachal Pradesh and Kerala, the Central Government hereby accords approval for extension of tenure of inter cadre deputation of Ms. A. Shainamol, IAS (HP:07) from Himachal Pradesh cadre to Kerala cadre for a further period of two years beyond 22.02.2017.

UDAI BHAN SINGH, Under Secretary

No. 13017/43/2013-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of State Governments of Jammu & Kashmir and Maharashtra, the Central Government hereby accords approval for extension of tenure of inter cadre deputation of Shri Pandurang Kondbarao Pole, IAS (JK:04) from Jammu & Kashmir cadre to Maharashtra cadre for a further period of two years beyond 02.02.2017.

UDAI BHAN SINGH, Under Secretary

The 17th February 2017

No. 13017/01/2017-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Government of Nagaland and the Ministry of Home

Affairs, the Central Government hereby transfers Shri Hemant Kumar, IAS (NL:13) from Nagaland cadre to AGMUT cadre on grounds of marriage to Smt. Vandana Rao, IAS (AGMUT:15).

UDAI BHAN SINGH, Under Secretary

New Delhi, the 1st March 2017

No. 39019/01/2014-Estt (B)—On attaining the age of 65 years, Prof. Hem Chandra Gupta has relinquished the charge of the post of Member, Union Public Service Commission, on the afternoon of 17th February, 2017.

PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st January 2017

No. 01/PA.III/2017—On attaining the age of superannuation, Shri N. P. S. Saini, Under Secretary retired from Grade I of Indian Foreign Service (B) on the afternoon of 31st January, 2017.

AMITABH RANJAN, Administrative Officer (PA.III)

No. 02/PA.III/2017—On attaining the age of superannuation, Shri Jhaman Mahto, Under Secretary retired from Grade I of Indian Foreign Service (B) on the afternoon of 31st January, 2017.

AMITABH RANJAN, Administrative Officer (PA.III)

No. 03/PA.III/2017—On attaining the age of superannuation, Shri M. Sooriyanarayanan, Under Secretary of Central Secretariat Service working in the Ministry of External Affairs on deemed deputation basis, has retired in the afternoon of 31st January, 2017.

AMITABH RANJAN, Administrative Officer (PA.III)

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 3rd January 2017

No. DIII/460/CF-58/2015—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Suraj Shantakumar as the Honorary Consul of the Republic of Kazakhstan in Chennai with immediate effect. His tenure is valid till 13th December, 2018.

The consular jurisdiction of Mr. Suraj Shantakumar comprises the States of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala, with the seat in Chennai.

MANOJ SHARMA, Deputy Chief of Protocol (F)

The 2nd March 2017

No. DIII/460/CF-56/2015—The President of India is pleased to recognize the appointment of Dr. Chiriankandath Joseph Roy as the Honorary Consul of the Slovak Republic in Bengaluru with immediate effect.

The consular jurisdiction of Dr. Chiriankandath Joseph Roy comprises the States of Karnataka and Kerala, with the seat in Bengaluru.

MANOJ SHARMA, Deputy Chief of Protocol (F)

The 3rd March 2017

No. DIII/460/CF-17/2016—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Madhusudan B. Agrawal as the Honorary Consul of the Republic of Uganda in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Madhusudan B. Agrawal comprises the States of Maharashtra, Gujarat and Goa, with the seat in Mumbai.

MANOJ SHARMA, Deputy Chief of Protocol (F)

No. DIII/460/CF-34/2015—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Ammeet K. Agarwal as the Honorary Consul of the Democratic Republic of the Congo in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Ammeet K. Agarwal comprises the city of Mumbai, with the seat in Mumbai.

MANOJ SHARMA, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 17th October 2016

No. 01 of 2016 (F.No. A-39012/3/2013-Ad.VIA)—The President of India is pleased to accept the resignation of Shri Paramjit Singh, (Civil Code-07644), ADIT(I &CI), Ludhiana from Central Government Service w.e.f the forenoon of 01.07.2013.

YOGESH SHARMA, Under Secretary

No. 02 of 2016 (F.No. A-24012/82/2014-Ad.VIA)—The President of India is pleased to accept the resignation of Smt. Rajni B. Gohil, (Civil Code-09511), DDIT(Inv.), Godhra from the Government Service w.e.f the afternoon of 31.05.2016.

YOGESH SHARMA, Under Secretary

The 3rd January 2017

No. 1 of 2017 (F.No. A-39012/2/2013-Ad.VIA)—The President of India is pleased to accept the resignation of Shri Sujit Sudhakar Bangar, (04072), JCIT, Mumbai from Central Government Service with effect from 16.01.2017 (A.N.).

YOGESH SHARMA, Under Secretary

The 23rd January 2017

No. 02/2017 (F.No. A-27023/23/2016-Ad.VIA)—Consequent upon recommendation of the Screening Committee, the services of Shri Rajul Awasthi, IRS (IT:88008) were placed at the disposal of World Bank, Washington, D.C., USA for appointment as Extended Term Consultant, with effect from 30.09.2008, vide Department of Economic Affairs Order No. A-19011/14/2004-Admn.II dated 03.10.2008. Subsequently, no objection was conveyed for extension of his deputation tenure upto 19.08.2011.

2. O/o DGIT(HRD), CBDT, vide letter dated 01.07.2011 had informed Shri Rajul Awasthi that DOP&T has not agreed to the proposal for extension of his deputation tenure and has conveyed that the ACC has directed that the norms of fixing 7 years as maximum period away from the cadre may be followed strictly. Therefore, he cannot remain outside the cadre beyond 19.08.2011. However, Shri Awasthi did not report for duty in the Cadre on completion of his permitted tenure with the World Bank and has remained absent from the duty unauthorizedly since 20.08.2011.

3. Since he remained absent from duty for more than five years, Shri Awasthi was requested to explain in writing, as to why the period of his absence from duty for more than five years should not be treated as unauthorized absence and why the action should not be taken against him under Rule 12(2) of CCS(Leave) Rules, 1972 for treating his absence from duty as deemed resignation from the Government service, vide letter dated 08.12.2016.

4. Shri Rajul Awasthi, vide letter dated 22.12.2016, informed that he was aware that his extension of deputation tenure beyond 19.08.2011 has been rejected by the Department of Personnel and Training. He made another appeal for extension of his deputation tenure. But he did not receive any communication in response. He also stated that he could not report back for duty on 20.08.2011 due to personal reasons.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred in Rule 12(2) of CCS(Leave) Rules, 1972, read with DOP&T's Notification No.13026/2/2010-Estt.(L) dated 29.03.2012, published as GSR No. 261(E) in the Gazette of India dated 29.03.2012, the President is pleased to treat the unauthorized absence of Shri Rajul Awasthi, IRS (IT:88008) from duty for a continuous period of more than five years, as deemed resignation from the Government service with effect from 20.08.2011. He will not be entitled for any retirement benefit.

YOGESH SHARMA, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 20th February 2017

No. A-32013/2/2014-Cadre—Consequent upon his appointment to the post of Joint Secretary (in-situ) in SAG grade vide DOP&T's Office Memorandum No. 21/5/2016-CS.I(D) dated 23rd January, 2017, the President is pleased to appoint Shri V. B. Dubey, Director of CSS Cadre of Supply Division as Joint Secretary (in-situ) in Supply Division in SAG grade with effect from 01.02.2017(F/N).

AJAY KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 31st January 2017

No. A-38011/05/2016-Estt.—Dr. Rajesh Kapur, Scientist 'H' in the Department of Biotechnology retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2017 on superannuation.

M. K. SINHA, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 10th March 2017

No. A.11013/1/2014-D.F.Q.C.(G.S.R.)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Vigilance) in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Director (Vigilance) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay matrix or pay scale. — The number of post its classification, the level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification:— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, in consultation with the Union Public Service Commission, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director (Vigilance)	1* *(2017) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group - A Gazetted Non-Ministerial	Level 13 (Rs.1,18,500-2,14,100)	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or by deputation/absorption to be made		
(8)	(9)	(10)		(11)		
Not applicable.	Not applicable	By deputation (Including short term contract)		<u>Deputation (including short term contract)</u> Officers of the Central Government or the State Governments or Union territories or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations who have completed fourteen years of Group ‘A’ service and have been granted non-functional Selection Grade (NFSG) in their respective cadre. Note 1: Selection and appointment for the post of Director (Vigilance) to be made in accordance with the guidelines circulated by the DOP&T vide their O.M. No. 372/8/99-AVD.III dated 18.01.2001 on the subject “Procedure for selection and appointment of Chief Vigilance Officers in the various Central Public Sector Undertakings” and as amended from time to time. Note 2: Period of deputation (Including Short Term Contract) including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or		

			some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years. Note 3: The maximum age- limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)			(13)
Not applicable			Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion

K. L. SHARMA, Joint Secretary

New Delhi-110011, the 20th February 2017

No. A-19011/04/2012 - CHS-IV—The Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee is pleased to appoint Dr. Shyam Sunder Doda, MBBS, MD, FICR, Consultant Radiologist, Dr. Doda's Diagnostic & Health Care, 23-B, Pusa Road, New Delhi – 110016, to his panel of Honorary Radiologist with effect from 29th January, 2017, till his tenure or until further order, whichever is earlier.

LALIT KUMAR, Under Secretary

No. A-12025/02/2015-CHS-IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Aarti Tewari to the post of Specialist Grade-III (Microbiology) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services on probation with effect from the forenoon of the 30th April, 2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

The 21st February 2017

No. A-12025/20/2014-CHS-IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Purva Pankaj Sarkate to the post of Specialist Grade-III (Microbiology) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services on probation with effect from the forenoon of the 29th April, 2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

The 1st March 2017

No. A.12025/87/2014-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Prabhat Goel to the post of Assistant Professor in the speciality of Anatomy in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service with effect from the forenoon of 13.08.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

The 3rd March 2017

No.A.12025/116/2014-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Meera Dhuria to the post of Public Health Specialist Grade-III[erstwhile Specialist Grade II(Junior Scale)] in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 24.12.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

New Delhi, the 20th January 2017

No. A.12034/6/2014-EPI—Consequent upon dismissal of OA No. 063/00177/2015 filed by Sangeeta Sharma in CAT, Chandigarh Bench, the President is pleased to appoint Dr. Yashwant Kumar to the post of Factory Manager, Group 'A' Gazetted, PB-3; Rs.15600-39100+ GP Rs. 5400 in the Central Research Institute, Kasauli (HP) with effect from 26.4.2016 on regular basis.

B. L. MEENA, Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 29th December 2016

No. 12023/15/2016-E.II—The President is pleased to appoint Shri Rama Shankar Sinha, IFS (AGMUT: 1995) on the post of Additional Commissioner (Forestry) in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare on

deputation under the Central Staffing Scheme of Ministry of Environment, Forest and Climate Change in Level 13-A of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 7th December 2016.

SUNIL KUMAR SWARNKAR, Under Secretary

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi, the 22nd February 2017

No. A-12022/01/2015-Admn.—In pursuance Central Administrative Tribunal, Principal Bench order dated May 11, 2016 in OA No. 291/2014 in the matter of B.S. Chahalia vs. Union of India and Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2014-CS-I(D) dated 6th February, 2017 placing the name of Shri B.S. Chahalia, Under Secretary (Retired) in the Part Select List of Grade I (US) Officers of CSS considered fit for appointment to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the year 2007 circulated vide DoPT O.M No. 4/9/2008-CS.I (D) dated July 28, 2009 against serial No. 3A below Shri H.C. Azad (Sl.No. 3) and above Shri N.C. Bhanwal (Sl.No. 4), notional promotion is hereby given to Shri B.S. Chahalia w.e.f. the date of promotion of his juniors i.e. 01.07.2007 to the Selection (Deputy Secretary) Grade.

RAJESH KUMAR, Under Secretary (Admn.)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 2nd February 2017

No. A 38012/06/2016-E-I—On attaining the age of superannuation, Ranjan Mukherjee, Director (TR) in the Ministry of Road Transport & Highways has retired from Government Service w.e.f. 31.01.2017(A.N.).

Anil Sharma, Under Secretary

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DIRECTORATE OF ESTATES)

New Delhi, the 31st January 2017

No. A-12026/1/2014-Admn.B—On the recommendation of Union Public Service Commission, following six candidates are appointed to General Central Service (Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial) posts of Superintendent (A/cs.) in Directorate of Estates, Ministry of Urban Development, New Delhi with effect from the date shown against their names:

Sl. No.	Name	Date
1.	Sh. Compton Mandal	05.08.2016 (F/N)
2.	Sh. Pawan Kumar	17.08.2016 (F/N)
3.	Sh. Arapalli Mohan Babu	22.08.2016 (F/N)
4.	Sh. Vinod RV	30.08.2016 (F/N)
5.	Sh. Jagnnath Prasad	30.09.2016 (A/N)
6.	Sh. Bhupendra Singh Chauhan	30.09.2016 (A/N)

POOJA SHARMA, Dy. Director of Estates(Estt.)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 27th February 2017

No. A-31011/04/2011-CLS-I(.)—The President is pleased to appoint the following persons as Junior Time Scale (Group 'A') Officers (under Probation) in Central Labour Service in the pay scale corresponding to PB-3(Rs.15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs.5,400/- (Pre-revised) with effect from the date indicated against each:-

Sl. No.	Name of the Officer (Shri/Smt./Kum.)	Date of joining
1)	Sumit	23.09.2014
2)	Niranjan Kumar	28.08.2014

Sl. No.	Name of the Officer (Shri/Smt./Kum.)	Date of joining
3)	Nirmal Chandra Kar	06.04.2015
4)	Shoaibali Hasanali Sayyed	23.04.2015
5)	Rakesh Gaur	29.12.2014
6)	Sachin Kumar	25.09.2014
7)	Shubhra Tyagi	05.12.2014
8)	Rahul Tyagi	24.03.2015
9)	Resmi V	29.01.2015
10)	Manikandan	02.04.2015
11)	Bidhan Chandra Nayak	03.02.2015
12)	Mhd Imran Raza	26.12.2014 Resigned w.e.f. 04.09.2015
13)	Chiranjeev Saikia	08.12.2014
14)	Karunakar Jagannath Mohanty	04.03.2015
15)	Srinu Dara	05.02.2015
16)	Kanhu Charan Sahu	02.07.2015
17)	Susanta Kumar Nayak	01.06.2015
18)	Anjali Yadav	24.12.2014 Resigned w.e.f. 04.09.2015
19)	Sunil Kumar Sahu	26.02.2015
20)	Washimul Haq	01.01.2015
21)	Rajiv Ranjan	09.09.2015
22)	Kshitij Jain	20.01.2015
23)	Mrinmoy Thakur	23.12.2014
24)	Ankur Dalal	13.03.2015
25)	Sri Ashok Perumalla	30.03.2015
26)	Barun Kumar Jha	29.01.2015
27)	Kanagavel Pandiyan Shanmugavel	08.04.2015
28)	Md. Razi Alam Khan	01.09.2014
29)	Beena	29.12.2014
30)	Annadurai	31.12.2014
31)	Subapriyadarshini Muthupandi	29.12.2014
32)	Madhavan	18.03.2015
33)	Ram Kishan Meena	04.02.2015
34)	Rajesh Kumar T.	09.04.2015 Resigned w.e.f. 18.01.2017
35)	Pravin Pandi Mohandas	11.02.2015
36)	Sunil Raghunath Mali	08.04.2015
37)	V R Ganesan	22.01.2015

Sl. No.	Name of the Officer (Shri/Smt./Kum.)	Date of joining
38)	Pradyumn Kumar Rana	09.09.2015
39)	Nayan Manik Tripura	12.02.2015
40)	Reega Jaisingh Chauhan	09.12.2014
41)	Mohammad Ozair	28.01.2015
42)	Vishal Ashok Amte	22.04.2015
43)	Atul Singh	11.12.2014
44)	Hari Om Gautam	22.09.2014
45)	Harikesh Bahadur	01.01.2015
46)	Hitler Thoudam	15.04.2015
47)	Sagar Pradhan	13.02.2015
48)	Wonmi Horam	04.08.2015
49)	S Ravikanth Reddy	08.12.2014
50)	Basavaraj	01.01.2015
51)	Santhosh Kumar Sethy	24.12.2014

2. The appointment of above Officers in the JTS Grade of CLS will be subject to final outcome of the OA No. 310/01382/2014 filed by Shri L Prasad before the Hon'ble CAT, Madras, O.A. No. 2197/2014 filed by Shri Mukesh Suman before the Hon'ble CAT, PB, New Delhi, O.A. No. 330/1024/2014 filed by Ms. Neha Singh before the Hon'ble CAT, Allahabad against the UOI.

S. K. SINGH, Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.2]

BANSHI

DHAR DUBEY

Digitally signed by
BANSHI DHAR DUBEY

Date: 2017.03.18

11:20:53 +05'30'